वित्तीय स्वीकृति

संख्या: 2/2015/3144- प्रो0/51-2014-14(37)/2012

प्रेषक,

इन्द राज सिंह,
उप सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झाँसी ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ :दिनांक 18फरवरी, 2015

विषय:- राज्य अतिथिगण के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 2760 नं0 म0-वी0आई0पी0(2014-15) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथि के परिवहन से संबंधित पार्श्वांकित देयक के भुगतान हेतु धनराशि रु 30,460-00 (रुपये तीस हजार चार सौं साठ मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते हैं।

मा0 सुश्री उमा भारती, मा0 केन्द्रीय मंत्री

नदी विकास व गंगा पुनरुद्वार, भारत सरकार नई दिल्ली ।

दिनांक 31-10-2014 से 03-11-2014 तक, वाहन संख्या यू0 पी0-32, सी0जेड0-9820
देयक संख्या: सी0के0टी0/16,

दिनांक 12-11-2014, रुपये 30,460-00

2- क़ृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नही किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किये जा रहे हैं ।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय/ व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक - 01 मूलदेयक । भवदीय

(इन्द्र राज सिंह)
उप सचिव ।

संख्या:2/2015/3144(1)प्रो/51-2015-14(75)/2012, तददिनांक्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभा-5,
3- कोषाधिकारी, झाँसी ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम, लखनऊ ।
5- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम, बाँदा ।
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका । आज्ञा से

(इन्द्र राज सिंह)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।